संख्या-26/2016/748/18-4-2016-8(ह0शि0)/10टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।
2.समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 02 जून,2016

विषय- समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-19/13-हस्त/उ0प्र0ह0प्र0नी0-2014/स0ह0पें0यो0/ 2016-17,दिनांक 20.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की जायेगी परन्तु हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रूपये 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना की क्रियान्वयन की इकाई जिला होगी तथा धनराशि कम होने की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम तथा अधिक आयु के हस्तशिल्पियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

2-योजना हेतु पात्रता:-

(1)-हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(2)- हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचानपत्र(आर्टीजनकार्ड) होना आवश्यक है।

(3)- शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- शिल्पकार सरकारी/गैरसरकारी/अर्द्धसरकारी/ एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी न हो।

(5)- हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनमुन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगा।

(6)- योजना से आच्छादित शिल्पकार चार पहिया वाहन का मालिक न हो।

<u>3-प्रक्रिया:-</u>

(1)- समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन हेतु हस्तशिल्पी द्वारा अपने गृह जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जायेगा, जिसके साथ आय से सम्बधित प्रमाण पत्र, आयु से सम्बधित प्रमाण पत्र, शिल्प पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य होगा। आवेदक को इस आशय का एक शपथ पत्र भी देना होगा कि उसे किसी अन्य स्रोत से पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। निर्धारित पात्रता के आधार पर लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित समयावधि में प्रस्ताव भेजने के लिए सम्बधित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र उत्तरदायी होगें। लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही वर्ष में दो बार प्रथम त्रैमास एवं तृतीय त्रैमास में की जायेगी तथा पात्रता हेतु आयु की गणना चयन माह एक अप्रैल एवं एक सितम्बर के आधार पर की जायेगी। लाभार्थियों का चयन कर लाभार्थियों के आवेदन पत्र संस्तुति सहित उपायुक्त, उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग को भेजे जायेंगे जिनके द्वारा रैण्डम (Random) सत्यापन के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव विकास आयुक्त हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर प्रेषित किया जायेगा। पेंशन हेतु पात्र शिल्पकारों का अन्तिम रूप से चयन विकास आयुक्त हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर द्वारा किया जायेगा।

(2)- योजना का क्रियान्वयन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के स्तर पर किया जायेगा। इसके प्रबन्धन आदि के लिए सम्बधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पूर्णतः उत्तरदायी होगें। पेंशन की स्वीकृति विकास आयुक्त, हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर द्वारा दी जायेगी। उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा लाभार्थी के जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष दिसम्बर माह में अनिवार्य रूप से विकास आयुक्त हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी पेंशन प्राप्तकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उपायुक्त, उद्योग द्वारा इस सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग तथा विकास आयुक्त, हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर को अवगत कराया जायेगा, ताकि ऐसे लाभार्थियों की पेंशन का वितरण रोका जा सके।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- सम्बन्धित शिल्पकार को उसके बैंक खाते में पेंशन की धनराशि नेफ्ट (NEFT) के माध्यम से विकास आयुक्त, हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर द्वारा वितरित की जायेगी। पेंशन की धनराशि त्रैमासिक आधार पर वितरित की जायेगी।

(4)- मण्डल स्तर पर परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं राज्य स्तर पर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) उ0प्र0 कानपुर द्वारा योजना की त्रैमासिक मानीटरिंग की जायेगी। उपायुक्त उद्योग तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करते हुए एवं वर्ष में 02 बार सर्वेक्षण करते हुए विकास आयुक्त, हस्तशिल्प उ0प्र0 कानपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

4-योजना के अंतर्गत किये जाने वाला व्यय बजट प्राविधान के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में बजट में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त देयतायें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सृजित नहीं की जायेगी।

5-योजना के सफल क्रियान्वयन व समीक्षा हेतु आवश्यक प्रारूप तथा अन्य वांछित निर्देश आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर/विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा निर्गत किये जायेगें।

6-समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना के सम्बंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण शासन द्वारा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

7-कृपया तद्नुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-748(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त, उद्योग उ0प्र0।
3. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र उ0प्र0।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in